दिनांक 08.06.2016 को पूर्वाहन् 11.00 बजे से निदेशक उद्योग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति परिशिष्ट "क" संलग्न

बैठक निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसमें विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों के समीक्षोपरांत निम्न निदेश दिये गये।

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–(क) प्रासंगिक योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 से संबंधित जिलावार एवं बैंकवार लक्ष्य सभी महाप्रबंधकों को उपलब्ध कराया गया। KVIC के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष अन्तर्गत प्रासंगिक योजना के कार्यान्वयन संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। लेकिन अंतिम प्रारूप अभी तक अप्राप्त है। इस माह के मध्य में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है। इस कार्यशाला में नये प्रारूप पर चर्चा की जाएगी एवं नये दिशा–निदेशो की जानकारी भी सभी संबंधितों को दे दिया जाएगा। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि KVIC के स्तर से आवेदन प्राप्ति से संबंधित विज्ञापन तीन–चार दिनों में राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया जाएगा।

(ख) बैठक में सभी महाप्रबंधकों द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ई0डी0पी0 प्रशिक्षण की स्थिति में सुधार लाया जाय ताकि शत प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इस हेतु क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय। तदुपरांत निर्णय लिया गया कि RSETIs के माध्यम से प्रशिक्षण कराने हेतु KVIC के उच्चाधिकारियों को संसूचित किया जाएगा। इस पर KVIC के प्रतिनिधि द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।

2. **कार्यालय भवन**–(क) बैठक में जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवन निर्माण एवं चाहरदीवारी निर्माण/मरम्मती से संबंधित गत वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि की जिलावार समीक्षा की गई। महाप्रबंधक पलामू, गिरिडीह एवं चाईबासा द्वारा सूचित किया गया कि उनको आवंटित राशि की पूर्ण निकासी कोषागार से कर ली गई है, जबकि लोहरदगा द्वारा बताया गया कि मात्र 15 प्रतिशत राशि की ही निकासी की जा सकी है। धनबाद में राशि की निकासी नही की जा सकी। तदुपरांत सभी संबंधित महाप्रबंधकों को निदेश दिया गया कि नये कार्यालय भवन निर्माण, मरम्मती, सौंदर्यीकरण, व्हाईट वाशिंग आदि की जिन्हे आवश्यकता है, वे तीन दिनों के अन्दर प्राक्कलन तैयार निदेशालय को उपलबध करावें ताकि इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसमें किसी प्रकार की विलम्ब की जिम्मेवारी महाप्रबंधक की होगी। वे इस कार्य हेतु जिला भवन निर्माण विभाग से सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखेंगे।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र, राँची के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में जिला उद्योग केन्द्र, राँची का कार्यालय रियाडा भवन, नामकूम में कार्यशील है। यहाँ पर कार्य सम्पादन में कर्मियों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है। अत इसे रातु रोड स्थित नव निर्मित उद्योग भवन में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। उन्हे निदेश दिया गया कि इससे संबंधित अधियाचना शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध करावें ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(ग) जिला उद्योग केन्द्रों की योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा–मजदूरी, कार्यालय व्यय, मशीन एवं उपकरण, व्यावसायिक सेवा, सहायता अनुदान आदि मदों में आवश्यकता के अनुरूप अधियाचना समर्पित करने का निदेश सभी महाप्रबंधकों को दिया गया ताकि इसे वर्ष 2016–17 योजना सस्वीकृत्यादेश में सम्मिलित किया जा सके।

3. SME प्रक्षेत्र को CII के माध्यम से वित्त पोषण संबधी पावर प्रजेंटेशन CII के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में SME के महत्व को रेखांकित करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि इस सेक्टर का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 38% एवं सकल निर्यात में 38% है। लेकिन तकनीक, बाजार एवं वित्त पोषण के सरल साधन उपलब्ध नही रहने एवं जानकारी के अभाव में इस प्रक्षेत्र का यथोचित विकास नही हो पा रहा है। महाप्रबंधकों से कहा गया कि यदि जिला स्तर कोई उद्यमी वित्त पोषण के इच्छुक है, तो वे इसे इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावें तथा उन्हे इस हेतु CII से सम्पर्क करने हेतु उत्प्रेरित भी करें।

4. **कलस्टर**–राज्य में कलस्टर के विकास से संबंधित पावर प्रजेंटेशन E & Y के कन्सलटेंट(एम एस एम ई) द्वारा दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक राज्य में तीन कलस्टर यथा निरसा(धनबाद), विष्णुगढ़(हजारीबाग) एवं रांची identified हो चुका है। इसके साथ–साथ राज्य सात अन्य कलस्टर यथा दुमका(स्टोन स्टेचू), चाईबासा(बांस उत्पाद), गोड्डा(चांदी आभूषण), साहेबगंज(स्टोर कलस्टर), रांची(पीतल के बर्तन), जामताड़ा(बांस उत्पाद) एवं देवघर (लोहे का बर्तन) प्रस्तावित है जिस पर शीघ्र कार्य किया जाना हैं। महाप्रबंधक, धनबाद से अनुरोध किया गया कि धनबाद के निरसा में साड़ी कैलेन्डरिंग से संबंधित कलस्टर का विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायें। इंजिनियरिंग कलस्टर राँची का कार्य प्रगति काफी धीमी है। महाप्रबंधक जेसिया एवं इंजिनियरिंग इकाई से बात कर उन्हे इस हेतु उत्प्रेरित करें।

5. (क) बैठक में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रकार के अनुदान से संबंधित यदि किसी तरह का मामला जिला स्तर पर लंबित है, तो इसे संबंधित महाप्रबंधक शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे ताकि इस संबंध में निदेशालय के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

(ख) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची से राज सिरामिक्स से संबंधित विस्तार/विशाखन से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ग) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह से सर्वश्री सीताराम पॉलिप्लास्ट प्रा0 लि0 एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका से सर्वश्री रामेश्वरा राईस मिल, जामताड़ा के संबंध में CPIS हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

6. **स्थापना** (क) बैठक में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि कर्मियों को देय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने की प्रक्रिया निदेशालय स्तर पर चल रही है। अतः महाप्रबंधकों अपने अधीनस्थ कर्मियों के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के परिपक्व मामलों से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में भरकर सेवा पुस्त एवं विगत 5 वर्षो की चारित्रिक अभ्युक्ति के साथ चल–अचल संपति का ब्योरा संलग्न करते हुए एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करावें।

7. प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 11–14 जुलाई 2016 तक रूस में इन्टरनेशनल इण्डस्ट्रीयल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा भागीदारी की जा रही है। इन्जिनियरिंग प्रक्षेत्र से यदि कोई उद्यमी इस फेयर में भाग लेने के इच्छुक हो, तो महाप्रबंधक उनका पूर्ण विवरण निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

8. बजट–(क) वित्तीय वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित प्राक्कलन जिला उद्योग केन्द्र देवघर, गोड्डा एवं लोहरदगा को छोड़कर शेष जिलों से अप्राप्त पाया गया। तदुपरांत सभी संबंधित महाप्रबंधकों को निदेश दिया गया कि वे तत्संबंधी प्रतिवेदन एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ख) बैठक में महाप्रबंधक, दुमका द्वारा सूचित किया गया कि उनके यहाँ 15.11.2000 के पूर्व का कुछ बकाया विपत्र लंबित है। आवंटन के अभाव में इसका समायोजन नही हो पा रहा है। तदुपरांत सभी महाप्रबंधकों को निदेश दिया गया कि 15.11.2000 के पूर्व के बकाया विपत्र की जाँच कर ले एवं इससे संबंधित अधियाचना बजट प्रशाखा को उपलब्ध करावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/–
निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 3/उ0नि0/जि0उ0के0/म0प्र0–बैठक/50/2013 / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 3, काँके रोड, उनके गैर सरकारी प्रेषण संख्या 3600869 दि0 12.05.2015 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 3/उ0नि0/जि0उ0के0/म0प्र0–बैठक/50/2013 / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग/निदेशक उद्योग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 1986 / राँची, दिनांक 15.06.2016

3/उ0नि0/जि0उ0के0/म0प्र0–बैठक/50/2013

प्रतिलिपि: अपर उद्योग निदेशक/सभी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/श्री माधव शरण सिंह, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग /महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर उद्योग निदेशक